



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022026-270596
CG-DL-E-28022026-270596

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1011]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2026/फाल्गुन 8, 1947

No. 1011]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2026/PHALGUNA 8, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2026

का.आ. 1055(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् की महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अभी निर्दिष्ट किया जाना है के 160/300 कि. मी. से 172/600 कि.मी. तक के भूखण्ड (सूरत-नाशिक-अहमदनगर ग्रीनफिल्ड सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/आठ/छह लेन का बनाने आदि,) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप जिलाधिकारी, भूमि अर्जन, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, नासिक को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अभी निर्दिष्ट किया जाना हैके 160/300 कि. मी. से 172/600 कि.मी. तक (सूरत-नाशिक-अहमदनगर ग्रीनफिल्ड सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नासिक		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नासिक					
गांव का नाम: आडगाव					
1	1717 Pt.	निजी	शुष्क	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
2	1721 Pt.	निजी	शुष्क	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
3	1722/1 Pt.	निजी	शुष्क	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
4	1727 Pt.	निजी	शुष्क	0.75 (हेक्टेयर)	0.75
5	1728 Pt.	निजी	शुष्क	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
6	1732 Pt.	निजी	शुष्क	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
7	1814 Pt.	निजी	शुष्क	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
8	1818 Pt.	निजी	शुष्क	0.13 (हेक्टेयर)	0.13
9	1819 Pt.	निजी	शुष्क	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
10	1820 Pt.	निजी	शुष्क	0.255 (हेक्टेयर)	0.255
11	1821 Pt.	निजी	शुष्क	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
12	1908 Pt.	निजी	शुष्क	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
13	1909	निजी	शुष्क	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
14	1910 Pt.	निजी	शुष्क	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
15	1911 Pt.	निजी	शुष्क	0.055 (हेक्टेयर)	0.055
16	1912 Pt.	निजी	शुष्क	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
17	1915 Pt.	निजी	शुष्क	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
18	1920 Pt.	निजी	शुष्क	0.1 (हेक्टेयर)	0.1

19	1921 Pt.	निजी	शुष्क	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
20	1971 Pt.	निजी	शुष्क	0.0802 (हेक्टेयर)	0.0802
21	2006 Pt.	निजी	शुष्क	0.9 (हेक्टेयर)	0.9
Total					4.3302

[फा. सं. NHAI/PIU/NSK/Surat-Nashik-Ahmednagar Greenfield Stretch/3(a)/1/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2026

S.O. 1055(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/Eight/Six laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. Yet to be Assigned in the stretch of land from Km 160.300 to Km 172.600 (Surat-Nashik-Ahmednagar Greenfield Section) in the district of Nashik in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Deputy Collector (Land Acquisition) National Highway Project, Nashik in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 160.300 to Km 172.600 (Surat-Nashik-Ahmednagar Greenfield Section) of the National Highway No. Yet to be Assigned in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: Nashik		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Nashik					
Village: Adgaon					
1	1717 Pt.	Private	Dry	0.3 (Hectare)	0.3
2	1721 Pt.	Private	Dry	0.3 (Hectare)	0.3
3	1722/1 Pt.	Private	Dry	0.2 (Hectare)	0.2
4	1727 Pt.	Private	Dry	0.75 (Hectare)	0.75
5	1728 Pt.	Private	Dry	0.4 (Hectare)	0.4

6	1732 Pt.	Private	Dry	0.4 (Hectare)	0.4
7	1814 Pt.	Private	Dry	0.07 (Hectare)	0.07
8	1818 Pt.	Private	Dry	0.13 (Hectare)	0.13
9	1819 Pt.	Private	Dry	0.03 (Hectare)	0.03
10	1820 Pt.	Private	Dry	0.255 (Hectare)	0.255
11	1821 Pt.	Private	Dry	0.05 (Hectare)	0.05
12	1908 Pt.	Private	Dry	0.05 (Hectare)	0.05
13	1909	Private	Dry	0.03 (Hectare)	0.03
14	1910 Pt.	Private	Dry	0.01 (Hectare)	0.01
15	1911 Pt.	Private	Dry	0.055 (Hectare)	0.055
16	1912 Pt.	Private	Dry	0.08 (Hectare)	0.08
17	1915 Pt.	Private	Dry	0.04 (Hectare)	0.04
18	1920 Pt.	Private	Dry	0.1 (Hectare)	0.1
19	1921 Pt.	Private	Dry	0.1 (Hectare)	0.1
20	1971 Pt.	Private	Dry	0.0802 (Hectare)	0.0802
21	2006 Pt.	Private	Dry	0.9 (Hectare)	0.9
Total					4.3302

[F. No. NHAI/PIU/NSK/Surat-Nashik-Ahmednagar Greenfield Stretch/3(a)/1/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director